(20) (1)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

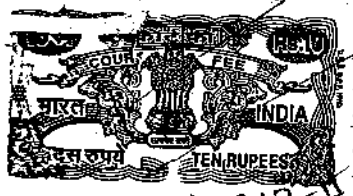

2-712-II/13

ओमप्रकाश अग्रावाल तनय श्री मुकुटबिहारी अग्रवाला निबासी 110 परिवारन थाना कोतवाली जनपद झॉसी (उ0प्र0)

.... निगरानीकर्ता

बनाम

क्रमांक 522

1\. लक्ष्मी नारायण तनय जमनाप्रसाद कोरी निबासी 306 ईसाई टोला प्रेमनगर झॉसी (उ0प्र0)

2\. म0प्र0 शासन

3\. हरी मोहन राय ....प्रतिनिगरानीकर्तागण

प्रस्तुत निगरानी धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी भूमि खसरा नंबर 679/4 व 678, 697 स्थित मौजा जिजौरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ की पंजीकृत विलेख दिनांक 03.10.2012 से व्यथित होकर समक्ष न्यायालय के प्रस्तुत है।

1\. यह कि भूमि स्थित ग्राम जिजौरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ के खसरा क्र. 679/4, 678, 697/3 में रकवा प्रतिनिगराकार द्वारा मौके पर ले जाकर साक्षियों के समक्ष दिखाई एवं हरिमोहन मुदगल एडवाकेट एवं महमूद चौहान के समक्ष मूल परिचय पत्र लेकर ऋण पुस्तिका क्रमांक 882152 लेकर उपपंजीयक कार्यालय टीकमगढ़ के समक्ष उक्त भूमि विक्रय करने का अनुबंध किया गया एवं स्वयं को भू–स्वामी बताकर उक्त भूमि का विक्रय अनुबंध निगराकार से तय किया गया।

2\. यह कि उक्त भूमि वास्तव में हरिमोहन राय पुत्र ज्वालाप्रसाद राय निगराकार के साथ गंभीर धोखाधडी कर प्रतिनिगराकार क्रमांक 1 से सांठगांठ कर करीब 10 लाख रूपये में सौदा तय कर 1 लाख रूपये के पंजीकृत शुल्क स्टाम्प निगराकार द्वारा ले लिये गये तदोपरांत प्रतिनिगराकार ने निगराकार के पक्ष में उक्त भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जिसमें निगराकार को भारी क्षति का सामना करना पड रहा है। ऐसी स्थिति में निगराकार दोनो तरफ से षडयंत्र का शिकार हो रहा है।

3\. यह कि भारतीय सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन के सिद्धांत एवं दृश्यमान स्वामी के प्रावधानों के अनुसार प्रतिनिगराकार क्र. 1 एवं वास्तविक स्वामी के

R-712-II/13' [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-2-19	आवेदक अभि. श्री सुनील सिंह जादौन अनु.। अना. सूचित हो। कायमी हेतु। cf 25-4-19	[illegible]
25/4/19.	(1) आवेदक अभि. श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित है, के द्वारा प्रकरण वापस withdrawn करने हेतु अनुरोध किया है। (2) यह अनुरोध स्वीकार करते हुए withdrawn की अनुमति प्रदान की जाती है। (3) इसी स्तर पर प्रकरण समाप्त किया जाता है। [signature] 25/4/19	[signature]